केंद्रीय बजट 2026–27 : परीक्षा उपयोगी विश्लेषण

1. संवैधानिक प्रावधान एवं बजट का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

संवैधानिक ढांचा (Constitutional Framework):
- **अनुच्छेद 112:** वार्षिक वित्तीय विवरण (संविधान में *'बजट'* शब्द का प्रयोग नहीं है)।
- **तैयारकर्ता:** आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय (मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में)।
- **अनुच्छेद 266:** भारत की संचित निधि (CFI) से धन निकासी हेतु संसद की पूर्व अनुमति (विनियोग विधेयक) अनिवार्य है।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड एवं तथ्य:
- **मोरारजी देसाई:** सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया (10 बार); दो बार अपने जन्मदिवस (29 फरवरी) पर।
- **निर्मला सीतारमण:** वर्ष 2026 में लगातार 9वां बजट (सर्वाधिक लगातार बजट); वर्ष 2020 में सबसे लंबा भाषण; पी. चिदंबरम (9 बार) की बराबरी।
- **डॉ. मनमोहन सिंह:** शब्दों की दृष्टि से सबसे लंबा बजट भाषण (1991 का ऐतिहासिक आर्थिक सुधार बजट)।

2. समष्टि आर्थिक अनुमान एवं 3 प्रमुख कर्तव्य (GUIDING PILLARS)

- **GDP संवृद्धि दर अनुमान (FY27):** वास्तविक (Real) GDP संवृद्धि दर: **6.8% – 7.2%** | सांकेतिक (Nominal) GDP संवृद्धि दर: **10.0%**।
- **7%+ संवृद्धि दर के प्रमुख चालक:** संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन, सुदृढ़ सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (CAPEX), ऊर्जा सुरक्षा, मौद्रिक स्थिरता तथा घरेलू विनिर्माण क्षमता।
- **व्यापक सुधार पहल:** 350 से अधिक संरचनात्मक सुधार लागू (GST सरलीकरण, 4 श्रम संहिताएं, उच्च स्तरीय समितियां, वि-विनियमन एवं अनुपालन बोझ में कमी)।
- **थीम एवं केंद्र बिंदु:** गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों पर केंद्रित *'युवा शक्ति-प्रेरित बजट'*।
- **3 मार्गदर्शक 'कर्तव्य':**
 1. तीव्र आर्थिक संवृद्धि को गति देना एवं उसे निरंतर बनाए रखना।
 2. नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति एवं क्षमता निर्माण।
 3. *सबका साथ, सबका विकास* (समावेशी एवं सर्वसमावेशी राष्ट्रीय विकास)।

3. राजकोषीय परिदृश्य, घाटा संकेतक एवं 16वां वित्त आयोग

राजकोषीय संकेतक / घाटा	BE 2026–27	RE 2025–26	परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं प्रवृत्ति
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit - FD)	**GDP का 4.3%**	GDP का 4.4%	वर्ष 2020-21 के चरम स्तर के बाद से लगातार गिरावट की प्रवृत्ति।
राजस्व घाटा (Revenue Deficit - RD)	**GDP का 1.5%**	GDP का 1.8%	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को कम करना।
प्रभावी राजस्व घाटा (Effective RD)	**GDP का 0.3%**	GDP का 0.5%	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर।
प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)	**GDP का 0.7%**	GDP का 0.8%	राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान (FD - Interest)।
ऋण-से-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP)	**55.6% (FY27)**	56.1% (FY26)	वर्ष **2030 तक 50%** के लक्ष्य तक लाने का रोडमैप।
16वां वित्त आयोग (16th FC)	अध्यक्ष: **डॉ. अरविंद पनगढ़िया** (अवधि: 2026–31)। राज्यों को **41% लंबवत कर हस्तांतरण (Devolution)** की सिफारिश स्वीकृत। FY27 में राज्यों को अनुदान: **₹1.4 लाख करोड़** (ग्रामीण, शहरी निकाय एवं आपदा प्रबंधन सहित)।		

कुल प्राप्तियां (Receipts Profile FY27):
- **राजस्व प्राप्तियां:** ₹35.3 लाख करोड़ (कर + गैर-कर राजस्व)
- **पूंजीगत प्राप्तियां:** ₹18.1 लाख करोड़ (विनिवेश, ऋण वसूली, उधार)
- **राज्यों एवं UTs को कुल अंतरण: ₹26.2 लाख करोड़** (2022-23 से लगातार वृद्धि)।

कुल व्यय (Expenditure Profile FY27):
- **राजस्व व्यय:** ₹41.25 लाख करोड़ (वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी)
- **पूंजीगत व्यय (CAPEX): ₹12.2 लाख करोड़** (परिसंपत्ति सृजन)
- **प्रभावी पूंजीगत व्यय: ₹17.1 लाख करोड़** (राज्यों के पूंजीगत अनुदान सहित)।

4. रुपया कहाँ से आता है एवं रुपया कहाँ जाता है

स्रोत (रुपया कहाँ से आता है)	हिस्सेदारी (%)
उधार एवं अन्य देयताएं	25%
आयकर (Income Tax)	21%
निगम कर (Corporate Tax)	18%
वस्तु एवं सेवा कर (GST)	15%
गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue)	10%
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty)	6%
सीमा शुल्क (Customs Duty)	4%
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	2%

मद (रुपया कहाँ जाता है)	हिस्सेदारी (%)
करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	22%
ब्याज भुगतान (Interest Payments)	20%
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (CS Schemes)	17%
रक्षा (Defence)	11%
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS Schemes)	8%
वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण	7%
अन्य व्यय	7%
सब्सिडी (खाद्य, उर्वरक, ईंधन)	6%
पेंशन (Civil Pensions)	2%

मंत्रालयीय व्यय का घटता क्रम (Descending Order):
परिवहन > रक्षा > ग्रामीण विकास > गृह मंत्रालय > कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र > शिक्षा > ऊर्जा > स्वास्थ्य > शहरी विकास > IT एवं दूरसंचार > वाणिज्य एवं उद्योग > सामाजिक कल्याण > विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी > कर प्रशासन > विदेश मंत्रालय (MEA) > वित्त मंत्रालय > पूर्वोत्तर विकास।

5. रणनीतिक क्षेत्रीय पहल एवं प्रमुख आर्थिक चालक (ECONOMIC ENGINES)

- **उच्च शिक्षा, पर्यटन एवं कौशल विकास:**
 - **5 विश्वविद्यालय टाउनशिप:** उद्योग और अकादमिक जगत के तालमेल हेतु प्रमुख औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स गलियारों में स्थापना।
 - **बालिका STEM हॉस्टल:** प्रत्येक जिले के उच्च शिक्षा STEM संस्थानों में समर्पित बालिका छात्रावास।
 - **कंटेंट क्रिएटर लैब्स:** 500 कॉलेजों और 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में स्थापना; खेलो इंडिया मिशन को सुदृढ़ समर्थन।
 - **पर्यटन एवं डिजाइन:** राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान (Hospitality); पूर्वी भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID); ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी; पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट विकास; 15 पुरातात्विक स्थलों को वैश्विक सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित करना।
- **कृषि एवं कृषक कल्याण:**

- **भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सुदूर संवेदन पर आधारित डिजिटल कृषि मंच।
- **उच्च मूल्य कृषि (High-Value Agri):** बागवानी का पुनरुद्धार; पशुपालन उद्यमिता; काजू एवं कोको हेतु समर्पित कार्यक्रम; चंदन की खेती और प्रसंस्करण।
- **मत्स्य पालन एवं नीली क्रांति:** मत्स्य पालन हेतु 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का उपयोग।

- **MSME एवं वाणिज्य:**
 - **₹10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विस्तार हेतु समर्पित फंड।
 - **कॉर्पोरेट मित्र:** टियर-II और टियर-III शहरों में किफायती लागत पर MSMEs को वैधानिक अनुपालन में सहायता।
 - **TReDS प्लेटफॉर्म:** सभी CPSEs द्वारा MSMEs से खरीद के भुगतान हेतु TReDS का अनिवार्य उपयोग; GeM पोर्टल को TReDS से जोड़ना।
- **हाई-टेक, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा एवं विनिर्माण:**
 - **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु** में समर्पित दुर्लभ मृदा/महत्वपूर्ण खनिज गलियारे।
 - **बायोफार्मा शक्ति (₹10,000 करोड़ / 5 वर्ष):** API (सक्रिय दवा सामग्री) हेतु चीन पर निर्भरता समाप्त करने का मिशन।
 - **डेटा सेंटर कर अवकाश (Tax Holiday):** वैश्विक हाइपरस्केल क्लाउड और AI डेटा केंद्रों को आकर्षित करने हेतु कर छूट।
 - **विनिर्माण योजनाएं:** इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना + वस्त्रों हेतु एकीकृत कार्यक्रम + समर्पित रसायन पार्क + 200 पारंपरिक औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार।
- **सेवा क्षेत्र एवं स्वास्थ्य सेवा:**
 - 'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' स्थायी समिति; मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हेतु 5 हब; 1.5 लाख बहु-कौशल देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण।
 - 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA); WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन।
- **वित्तीय एवं पूंजी बाजार सुधार:**
 - विकसित भारत बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति; PFC और REC का पुनर्गठन; FEMA नियमों की व्यापक समीक्षा।
 - नगरपालिका बॉन्ड (Municipal Bonds) हेतु ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन कोष; फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05%।

6. अवसंरचना, शहरीकरण, जन-कल्याण एवं करदाता सरलीकरण

अवसंरचना एवं माल ढुलाई गलियारे:
- **सार्वजनिक पूंजीगत व्यय:** ₹12.2 लाख करोड़ (टियर-II एवं III शहरों पर विशेष ध्यान)।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड:** निजी निवेश आकर्षित करने हेतु स्थापना।
- **समर्पित माल ढुलाई गलियारा (DFC):** सूरत को दानकुनी से जोड़ना।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग (NW):** खनिज क्षेत्रों व बंदरगाहों को जोड़ने वाले 20 नए जलमार्ग चालू करना।
- **तटीय कार्गो संवर्धन योजना:** 2047 तक जल परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करना; जहाज मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र।
- **पूर्वोदय (Purvodaya):** एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा।
- **शहरीकरण:** सिटी इकोनॉमिक रीजन (विशेषकर टियर-II, III और मंदिर शहर); 'ग्रोथ कनेक्टर' के रूप में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर।

कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य:
- **शी-मार्ट्स (SHE-Marts):** महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के उत्पादों की बिक्री हेतु सामुदायिक खुदरा केंद्र।
- **दिव्यांगजन कौशल योजना:** दिव्यांग व्यक्तियों हेतु उद्योग-प्रासंगिक अनुकूलित कौशल प्रशिक्षण।
- **दिव्यांग सहारा योजना:** गुणवत्तापूर्ण आधुनिक सहायक उपकरणों तक सार्वभौमिक पहुंच।
- **मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना:** NIMHANS-2 की स्थापना; तेजपुर और रांची स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन।
- **आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा:** सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक आपातकालीन एवं ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना।

व्यापार सुगमता (EoDB) एवं करदाता राहत:
- **TCS में कटौती:** विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर TCS 20%/5% से घटाकर **2%**; LRS के तहत शिक्षा एवं चिकित्सा पर 5% से घटाकर **2%**।
- **विदेशी निवेश:** भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROIs) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश की अनुमति।
- **कर विवाद समाधान:** छोटे करदाताओं हेतु 6 महीने की एकमुश्त विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना; शेयर बायबैक को सभी शेयरधारकों हेतु पूंजीगत लाभ (Capital Gains) के रूप में कर योग्य बनाना; ईमानदार करदाताओं को विवाद निपटाने की सुविधा।
- **सीमा शुल्क एवं व्यापार:** कार्गो क्लीयरेंस हेतु सिंगल डिजिटल विंडो; आगामी 2 वर्षों में देशव्यापी कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम लागू करना।